



भारत छोड़ो आन्दोलन में मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले का योगदान

डॉ. धनाराम उइके

सहायक प्राध्यापक— (इतिहास)

शासकीय पंचव्हेली स्नातकोत्तर महाविद्यालय, परासिया,
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)



शोध सारांश

ब्रिटिश राजसत्ता के नियंत्रण से मुक्ति हेतु उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय चेतना के संचार के साथ स्वाधीनता आन्दोलन में भी गतिशीलता दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दीर्घकालिक संघर्ष में विभिन्न वर्गों ने अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने हेतु अथक प्रयास किए। जिनमें प्रमुखतः उदारवादी दल के शीर्षस्थ नेता, उग्र-राष्ट्रवादी दल के नेता, तथा कर्मठ क्रांतिकारी नौजवान युवाओं ने भी अपने शौर्य एवं साहस का परिचय देते हुए औपनिवेशिक शासन से भारत को स्वतंत्र कराने हेतु अपनी अहम भूमिका अदा की। भारत के स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में एक अध्याय गांधीवादी युग का भी है। महात्मा गांधी ने भी आजादी के संघर्ष में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर जन-राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर उनका समर्थन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसी क्रम में मध्यप्रान्त के सतपुड़ा क्षेत्र के विभिन्न जिले एवं नगरों से भी महात्मा गांधीजी द्वारा चलाये गये, विभिन्न आंदोलनों में नेतृत्वकताओं ने जनसहयोग जुटाकर, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त किया। सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले से भी महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये भारत छोड़ो आन्दोलन में क्षेत्रीय नेतृत्वकताओं ने जनसमर्थन जुटाकर अपनी निर्णायक भूमिका अदा की।

शब्द कुंजी : भारत छोड़ो आन्दोलन, महात्मा गांधी, सतपुड़ा, छिन्दवाड़ा।

भूमिका

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभाव से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में देशव्यापी स्तर पर महात्मा गांधी जी ने अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। राजनीतिक पटल पर भारत में गांधीजी का पदार्पण 1915 ई. में हुआ। उस समय औपनिवेशिक भारत की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं लेकिन फिर भी भारत के प्रमुख वर्गों ने अपने-अपने ढंग से आजादी के संघर्ष में अपना अहम योगदान दिया। भारत में गांधीजी द्वारा चलाये गये आन्दोलनों में 1920-22 ई. का असहयोग आन्दोलन, 1930-34 ई. का सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं 1942 ई. का भारत छोड़ो आन्दोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक - ग्वालिया टैंक, बंबई में 8 अगस्त, 1942 ई. को की गई, एवं भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रस्ताव पारित किया गया तथा उसी तिथि को रात्रि 10 बजे गांधीजी द्वारा "करो या मरो" का नारा देते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आदेश दिया।¹ अतः इसके साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर इस आन्दोलन का आगाज हो गया। इस आन्दोलन को आरंभ करते ही गांधीजी ने संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा— "एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र, जो मैं आपको देता हूँ। उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं, यह मंत्र है— 'करो या मरो' या तो हम भारत को आजाद करायेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे; अपनी

गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिन्दा नहीं रहेंगे।² फलस्वरूप यह आन्दोलन अब क्षेत्रीय स्तर तक भी व्यापक रूप धारण करने लगा एवं महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत भारतीय जनमानस ने अपने-अपने क्षेत्र से इस आन्दोलन में भाग लेकर अपना अमूल्य योगदान दिया। मध्यप्रांत के सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिला भी इससे अछूता न रहा। इस जिले से भी विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं ने जनसहयोग पाकर भारत को ब्रिटिशों के अन्यायपूर्ण एवं शोषणयुक्त शासन से मुक्ति दिलाने हेतु अपनी महती भूमिका अदा की।

छिंदवाड़ा जिले में आंदोलन की सक्रियता

मध्यप्रांत के सतपुड़ा अंचल में भी भारत छोड़ो आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। छिंदवाड़ा जिले के जनमानस ने भी अपनी सक्रियता प्रदर्शित करते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात् महाकौशल में कार्यकर्ताओं की भर्ती और प्रशिक्षण का क्रम आरंभ हुआ। रायपुर, बिलासपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर और नरसिंहपुर जिले में कौंसिलों के माध्यम से कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए।³ वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मतानुसार छिंदवाड़ा में यह प्रशिक्षण स्थानीय धरमतेकड़ी में जिले के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गोकुल सिंह बैस के द्वारा प्रदान किया गया था। इस प्रसंग में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता श्री रूईकर, जिनका कार्यक्षेत्र छिंदवाड़ा जिला भी था, वे अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा जिले में गांधीजी के सिद्धांतों और विचारों का अत्यधिक प्रभाव था, वहाँ के लोग आंदोलन को तीव्र गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थे। 8 अगस्त 1942 को "अखिल भारतीय चरखा संघ" के संबंध में हरदा के निवासी श्री दादाभाई नायक और श्री श्यामाचरण सोनी(बैरिस्टर) ने एक आम सभा का आयोजन किया। इन लोगों ने एक गुप्त बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को विस्तार देने की सुनियोजित योजना बनाई। जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अनुसार यह मीटिंग छिंदवाड़ा जिले के मध्य स्थित छोटी बाजार के प्रसिद्ध "राम मंदिर" में ली गई। 9 अगस्त को शासन के द्वारा जिले की समस्त कांग्रेस कमेटी भंग कर दी गई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालयों में छापे मारकर वहाँ रखे हुए राष्ट्रीय दस्तावेज जब्त कर लिये।⁴ छिंदवाड़ा नगर, कांग्रेस कार्यालय से पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य या आलेख उपलब्ध ना हो सके। इन दिनों कांग्रेस कार्यालय, छोटी बाजार में जिले के कर्मठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री अर्जुन सिंह सिसोदिया के निवास पर था। पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान अर्जुन सिंह सिसोदिया ने अपने कांग्रेसी मुंशी के मार्फत पिछले दरवाजे से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भिजवा दिए। श्री अर्जुन सिंह सिसोदिया गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए।⁵ इस संदर्भ में छिंदवाड़ा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने अपनी सर्च रिपोर्ट में लिखा है कि – "जन आंदोलन के संगठन को प्रभावित करने वाले किसी आलेख की प्रतियाँ नहीं मिली हैं, 136/....रूपयों की राशि जब्त की गई है।"⁶

तत्पश्चात् छिंदवाड़ा जिले की अन्य आंदोलनकारी, आंदोलन को गतिशीलता प्रदान करने में जुट गए। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री चौखेलाल मांधाता और श्री कृष्णास्वामी नायडू ने नगर में हड़ताल करवाने एवं जुलूस निकालने हेतु आम सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया, परंतु यह योजना सफल नहीं हो सकी। 13 अगस्त को श्री चौखेलाल मांधाता और 14 अगस्त 1942 को श्री कृष्णास्वामी नायडू गिरफ्तार कर लिए गए।⁷ इस प्रकार छिंदवाड़ा जिले में ब्रिटिश प्रशासन अत्यंत कठोरता से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अधिकाधिक संख्या में गिरफ्तारियाँ करके जेल भेजने लगा। 17 अगस्त को छिंदवाड़ा नगर में विशाल जन-समूह द्वारा जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का नेतृत्व छात्र दत्तात्रय बागड़देव ने किया। नगर में संपूर्ण हड़ताल रही। पुलिस ने इस जुलूस पर दमनात्मक कार्यवाही करते हुए छात्र नेता दत्तात्रय बागड़देव को गिरफ्तार कर लिया।⁸ इस दिन रात्रि में लगभग हजार व्यक्तियों की एक सभा हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने सरकारी कार्यवाही की निंदा की और लोगों से गांधीजी की योजना को पूर्ण करने की अपील की, परंतु बीच में ही सभा स्थगित हो गई, क्योंकि भागते हुए बहुत से खच्चर वहाँ आ गए। लोगों ने यह समझा कि पुलिस आ गई।⁹ श्री मारुतिराव ओक्टे के अनुसार – "इस सभा का आयोजन श्री पी.डी. महाजन ने किया। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया।"¹⁰ 18 अगस्त को छिंदवाड़ा में आंशिक हड़ताल रही। 19 अगस्त को आंदोलन के पक्ष में शासकीय अधिवक्ताओं ने त्यागपत्र दे दिया। 21 अगस्त को छिंदवाड़ा में रेल लाइनों पर बाधा उत्पन्न की गई। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। रेल लाइन की सुरक्षा के लिए पुलिस और फौज के सुरक्षा दल तैनात किए गए और छिटपुट गिरफ्तारियाँ होती रही।¹¹ 23 से 30 अगस्त तक छिंदवाड़ा और इस जिले में कान्हीवाड़ा, पांडुर्णा,

लोधीखेड़ा आदि समस्त कस्बों में जुलूसबाजी और शासन के विरोध में नारेबाजी की गई।¹² 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1942 के बीच छिंदवाड़ा एवं सिविल लाइन की टेलीफोन वायरिंग काट दी गई।¹³ इस समय छिंदवाड़ा में आंदोलन को विस्तार देने वाला कोई नेता शेष ना बचा। सभी नेता बंदी बना लिए गए, परंतु श्री सूरज प्रसाद सिंगारे ने नौजवान युवाओं को संगठित कर इस आंदोलन को पुनः तीव्रता प्रदान करने का भरसक प्रयास किया। उन्हें भी 10 नवंबर 1942 को गिरफ्तार कर कारागृह में डाल दिया गया।¹⁴ 14 फरवरी 1943 को जबलपुर से दो आंदोलनकारी श्री जगन्नाथ अहीर, श्री गूदरकोरी छिंदवाड़ा आए। इस समय महात्मा गांधी 21 दिनों का उपवास कर रहे थे। श्री जगन्नाथ अहीर और गूदरकोरी ने आंदोलन को सक्रिय करने के लिए “महात्मा गांधी की जय और लूट मारो” के नारे लगाए। अंततः 14 फरवरी को इन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा।¹⁵

जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में आंदोलन का स्वरूप

मध्य प्रांत के सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत छिंदवाड़ा में सौंसर क्षेत्र की भी निर्णायक भूमिका रही है। इस मराठी बाहुल्य क्षेत्र में सौंसर नगर ग्राम, लोधीखेड़ा और पांडुर्णा परिक्षेत्र आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। जब अगस्त, 1942 में कुछ आंदोलनकारियों को बंदी बनाया जाने लगा; तब सौंसर क्षेत्र के शीर्षस्थ नेतृत्वकर्ता बाबूराव कापसे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 250 रु. का इनाम घोषित किया गया था। अतः उन्हें कई दिनों तक भूमिगत रहना पड़ा। फलस्वरूप क्षेत्र के नेतृत्वविहीन आंदोलनकारी हतोत्साहित तो थे, लेकिन महात्मा गांधी के प्रेरक आव्हान पर इस आंदोलन को फलीभूत करने के लिए कटिबद्ध और समर्पित भी थे। उन्होंने समय-समय पर जुलूस, हड़तालों और नारेबाजी के माध्यम से ब्रिटिश शासन के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। 16 अगस्त को रामाकोना सौंसर के बीच तार लाइन काट दी गई। इसी दिन सौंसर, सिवनी में पोस्ट-ऑफिस के काम में बाधा डाली गई।¹⁶ सौंसर, लोधीखेड़ा और उसके आसपास की परिक्षेत्र में उपद्रव की आकांक्षा के कारण जिला प्रशासन ने यहां एक विशेष सैनिक रेल गाड़ी भेज दी। इस दौरान सौंसर के स्व. उदेराज शर्मा, श्री पीलाजी श्रीखंडे और श्री खेतसीदास को गिरफ्तार कर लिया गया। इन विषम परिस्थितियों में शेष आंदोलनकारी भूमिगत हो गए। जिले के अन्य स्थानों में भी भांति सौंसर में भी 18 अगस्त के दिन आंशिक हड़ताल रही।¹⁷

छिंदवाड़ा जिले से जुड़ा हुआ एक वनाच्छादित और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अमरवाड़ा से भी जनमानस ने अपनी सक्रियता दिखाई। कालांतर में यहाँ के निवासी एक तेजस्वी उत्साह के साथ राष्ट्रीय आंदोलन की ओर उन्मुख होने लगे। 1940 और इसके उपरांत अमरवाड़ा तहसील के लोगों में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति एक विशिष्ट जिज्ञासा दृष्टिगोचर होने लगी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति यहाँ के आंदोलनकारियों में एक विशेष उत्साह था, किंतु छिंदवाड़ा के अग्रणी नेताओं की गिरफ्तारी से यह बेहद हतोत्साहित हो गए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में यहाँ के राष्ट्रभक्तों ने अदम्य साहस और अविचलित संकल्प-शक्ति का परिचय दिया तथा अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन का भार यहाँ के सर्वश्री सुंदरलाल तिवारी, पंडित गलीप्रसाद तिवारी, ठाकुर केसरी प्रसाद, मुंशी छोटेलाल, श्री नन्हेंवीर, श्री शेर बहादुर, ठाकुर उदयभान सिंह और श्री इमरतलाल सोनी जैसे कर्मठ देशभक्तों के कंधों पर था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को गति एवं सार्थक दिशा देने का प्रयास किया। सर्वप्रथम 16 अगस्त 1942 को इस क्षेत्र के आंदोलनकारियों ने अमरवाड़ा नगर में एक गुप्त बैठक का आयोजन किया, जिसमें 20 अगस्त तक ग्राम सिंगोड़ी में स्थित पेंच नदी का पुल उड़ाने, अमरवाड़ा तहसील कार्यालय और ब्रिटिश शासन के समर्थक सेठों के गोदामों को नष्ट करने एवं लुटवाने जैसे क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, परंतु कुछ क्रांतिवीरों ने इस योजना की तिथि के पूर्व ही अपना संयम खो दिया। 18 अगस्त 1942 को ठाकुर केसरी प्रसाद ने अमरवाड़ा नगर में हड़ताल कर दी। परिणामस्वरूप आंदोलनकारियों और सेठों के मध्य मारपीट आरंभ हो गई। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही की और ठाकुर केसरी प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए।

इसी क्रम में छिंदवाड़ा के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री प्रेमचंद जैन और उनके कुछ सहयोगी साथियों ने अमरवाड़ा तहसील के ग्राम-चौरई में तोड़फोड़ की योजना बनाई, परंतु प्रशासन की सतर्कता और चेतावनी के कारण वह क्रियान्वित ना हो सकी। इस संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रेमचंद ने अपनी जीवनी में लिखा है—“हमारे ही एक साथी ने जासूसी कर गद्दारी की और पुलिस को सूचना दे दी। इस घटना ने जिले के शासन को सतर्क कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आर. जे. जे. हिल और पुलिस कैप्टन टी. आर. सूबेदार सहित बंदूक से लैस 40 पुलिस जवानों के घेरे में, मैं गिरफ्तार कर लिया गया।” छिंदवाड़ा जेल में डाल दिया गया।

यहाँ से एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अनुसार—“18 अगस्त को चौरई में झूठी अफवाह के कारण 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।”¹⁸ इस प्रकार भारत से ब्रिटिश शासन से मुक्ति हेतु छिन्दवाड़ा जिले से विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं ने जनमानस का सहयोग जुटाकर अपने प्रेरक वक्तव्यों और भाषणों के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अदा की।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है कि, राष्ट्रव्यापी स्तर पर गांधीजी द्वारा चलाये जा गए भारत छोड़ो आन्दोलन में जनमानस ने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया। जिसमें मध्यप्रांत के भी विभिन्न क्षेत्रों मुख्यतः सतपुड़ा क्षेत्र के जुड़े नगरों में भी इस आन्दोलन को जनसमर्थन प्राप्त हुआ। जिसमें छिन्दवाड़ा जिले का नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। छिन्दवाड़ा एवं इससे जुड़े विभिन्न कस्बों, तहसीलों एवं गांवों से भी आम जनमानस जिसमें, महिलायें, पुरुष, नौजवान युवा, किसान, श्रमिक आदि समस्त वर्गों ने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ गांधी को अपना सहयोग देकर भारत से ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने के लिये जिले स्तर पर अनवरत संघर्ष जारी रखा, साथ ही उन्होंने इस आन्दोलन के दौरान गांधी द्वारा दिये गये सिद्धांतों, एवं उनकी विचारधारा का सम्मान रखते हुए, अहिंसात्मक एवं शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। अतः यह शोध पत्र प्रामाणिक द्वितीयक स्रोतों को आधार बनाकर तैयार किया गया है, जिसके आधार पर भारत छोड़ो आन्दोलन में छिन्दवाड़ा जिले की भूमिका स्पष्ट रूप से इंगित होती है।

सन्दर्भ :

1. भास्कर, अरविन्द— भारत का स्वतंत्रता संग्राम, कलाम पब्लिकेशन, सीकर, राजस्थान, 2021, पृ. 280
2. कुमार, डॉ. आशुतोष— आधुनिक भारत का इतिहास, यूनीक पब्लिशर्स, दिल्ली, 2014, पृ. 150
3. पाण्डेय, कु. उपमा, “मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता आन्दोलन”, पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र के विशेष सन्दर्भ में, (1920—1947), शोधग्रंथ, पृ. 161
4. कलेक्ट्रेड छिन्दवाड़ा, पुलिस अभिलेखागार, राजनीतिक बंदी फाईल, 1942—43 से उद्धृत।
5. अर्जुनसिंह सिसोदिया— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की व्यक्तिगत फाईल— हस्तलिखित लेख से उद्धृत।
6. होम पॉलिटिकल फाईल नं. 3/3/1942, पृ. 101
7. कलेक्ट्रेड छिन्दवाड़ा, पुलिस अभिलेखागार, राजनीतिक बंदी फाईल, 1942—43 से उद्धृत।
8. ओक्टे, मारुतिराव— “छिन्दवाड़ा क्षितिज”, 1993, पृ. 250
9. डिस्ट्रिक्ट केलेण्डर ऑफ इवेन्टस् ऑफ सिविल डिसओबिडिएन्स मूवमेंट पृ. 21
10. ओक्टे, मारुतिराव, पूर्वोक्त.
11. डिस्ट्रिक्ट केलेण्डर ऑफ इवेन्टस् ऑफ सिविल डिसओबिडिएन्स मूवमेंट पृ. 21
12. पूर्वोक्त, पृ. 23
13. कलेक्टोरेट, छिन्दवाड़ा, पुलिस अभिलेखागार, पूर्वोक्त
14. ओक्टे, मारुतिराव, पूर्वोक्त.
15. कलेक्टोरेट, छिन्दवाड़ा, पुलिस अभिलेखागार, पूर्वोक्त
16. डिस्ट्रिक्ट केलेण्डर ऑफ इवेन्टस्, पूर्वोक्त
17. पूर्वोक्त, पृ. 22
18. पूर्वोक्त.